# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

नंबर मुकदमा:– 404/21

नानूराम जाखड पुत्र हरूराम जाखड जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

1. भंवरसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपुत निवासी शिवपुरी तहसील बीदासर जिला चूरू
2. गुलाबसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपुत निवासी शिवपुरी तहसील बीदासर जिला चूरू
3. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

अप्रार्थीगण

4. जगदीश पुत्र बालुराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
5. धन्नाराम पुत्र बालुराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
6. भंवरलाल पुत्र गुमानाराम जाति जाट निवासी कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू

गौण अप्रार्थीगण

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट 1956 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.**

उपस्थितः– 1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते प्रार्थी

2. पेरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांकः– 04-03-2022

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 769 तादादी 8.1949 हेक्टेयर भूमि वाके रोही शिवपुरी तहसील बीदासर जिला चूरू में संयुक्त स्वामित्व का स्थित है। प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि सुनीतादेवी पत्नि अतरसिंह जाति जाट निवासी हमीरपुर व रोशनीदेवी पत्नि सत्यवीरसिंह जाति जाट निवासी हमीरपुर व संतोषदेवी पत्नि विजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी हमीरपुर व कमलेशदेवी पत्नि धनपत जाति ब्राहम्ण निवासी हमीरपुर तहसील चिडावा जिला झुंझुंनु से जरीये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.11.2021 कार्यालय उप पंजीयक बीदासर के आधार पर क्रय की थी और क्रय की दिनांक से इस भूमि पर प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है। यह भूमि कातर छोटी से लालगढ जाने वाली सडक पर स्थित है। इस भूमि में सें 3 बिश्वा भूमि आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व गौण अप्रार्थी भंवरलाल ने तत्कालिन खातेदार से खरीद की थी। उक्त 3 बिश्वा भूमि पर 15 वर्षों सें गौण अप्रार्थी भंवरलाल आवासीय मकान बनाकर निवास कर रहा है। प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण ने जब भूमि क्रय की तो

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

उक्त भूमि को कातर छोटी से लालगढ जाने वाली सडक पर स्थित मानकर कय की थी। वादगत भूमि पर वर्तमान में जैसा कब्जा काश्त उपयोग उपभोग प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण का है ऐसा ही कब्जा काश्त उपयोग उपभोग पूर्व खातेदारों का था। प्रार्थी ने हाल ही में किसी कार्यवश हल्का पटवारी से वादगत भूमि खेत का नक्शा लिया तो प्रार्थी को नक्शा देखने पर पता चला वादगत भूमि की नक्शा में तरमीम सडक से एक खेत छोडकर पिछे की ओर की हुई है जबकि वास्तव में यह भूमि सडक पर स्थित है। तब प्रार्थी ने आसपास के मौजिज लोगों से वादगत खेत के पुराने कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के बारे में व हल्का पटवारी से वादगत खेत के पुराने नक्शा के बारे में पूछताछ की तो पता चला की पुराने समय से ही अर्थात् सेटलमेंट के वक्त से ही इस खसरा की तरमीम गलत की हुई है। पुराना राजस्व रेकार्ड देखने से पता चला की खसरा संख्या 769 की जगह खसरा संख्या 953/769 व 954/769 की तरमीम की हुई है तथा खसरा संख्या 953/769 व 954/769 की जगह खसरा संख्या 769 की तरमीम की हुई है। उक्त गलत तरमीम सेटलमेंट के कर्मचारीयों की गफलत से की गई। वादगत भूमि के मौका कब्जा काश्त उपयोग उपभोग बाबत पक्षकारों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी मौका कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के अनुसार वादगत भूमि की अक्स में सही तरमीम करवाना चाहता है। राजस्व अक्स में खसरों की गलत तरमीम होने से प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी पेरशानी हो रही है। आज दिनांक तक उक्त गलत तरमीम की पक्षकारों को जानकारी नहीं होने के कारण अक्स में खसरों का बदस्तुर अंकन चला आ रहा है। प्रार्थी ने दिनांक 10.12.2021 को अप्रार्थीगण से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत भूमि खेत की अक्स में जो तरमीम की गई है वो गलत है उक्त तरमीम को वर्तमान मौका कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के अनुसार केवल राजस्व एक्स में खसरा संख्या 769 की जगह खसरा संख्या 953/769 व 954/769 तथा खसरा संख्या 953/769 व 954/769 की जगह खसरा संख्या 769 की सही तरमीम करवाकर वर्तमान राजस्व एक्स में संशोधन करायें। इस पर अप्रार्थीगण ने साफ इनकार कर दिया। इस कारण प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय के मार्फत राजस्व एक्स में वर्तमान मौका कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के अनुसार खसरा संख्या 769 की जगह खसरा संख्या 953/769 व 954/769 तथा खसरा संख्या 953/769 व 954/769 की जगह खसरा संख्या 769 की सही तरमीम करवाकर वर्तमान राजस्व एक्स में संशोधन करायें। राजस्व अक्स को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी को अपने खेत के नक्शे की आवश्यकता होने पर जब हल्का पटवारी से दिनांक 10.12.2021 को नक्शा की प्रति प्राप्त की तब प्रार्थी को अपने खेत के नक्शे को देखने पर पता चला की वर्तमान नक्शा कब्जा काश्त मौका के अनुसार नहीं है। तब पटवारी से पुछताछ करने पर पता चला की सेटलमेंट के वक्त से सेटलमेंट के कर्मचारीयों ने अक्स में खसरों की उलटी पुलटी तरमीम कर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

दी। सेटलमेंट के वक्त से ही यह गलत नक्शा बदस्तुर चला आ रहा है। ओर पटवारी ने भी अपने स्तर पर संशोधन करने से इनकार कर दिया। इससे पूर्व प्रार्थी को गलत नक्शा की जानकारी नहीं थी। प्रार्थना पत्र राजस्व एक्स में संशोधन का है तथा वादगत खेत रोही ग्राम शिवपुरी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत है। आदि आदि अंकित कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 व गौण अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 बावजुद तामिल उपस्थित नहीं हुए। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 व गौण अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 के खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 3 पेरोकार राज ने वादगत भूमि के संबध में राजहित नहीं होना अंकित किया है।

पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली पर आये दस्तावेजों को बगौर से देखा। प्रकरण केवल राजस्व अक्स में दुरूस्ती का है। सेटलमेंट कर्मचारियों की गलती से अक्स में वादगत भूमि के खसरा संख्या 769 की जगह खसरा संख्या 953/769 व 954/769 की तरमीम की हुई है तथा खसरा संख्या 953/769 व 954/769 की जगह खसरा संख्या 769 की तरमीम की हुई है जिसको शुद्व किया जाना उचित प्रतित होता है।

**–: आदेश :–**

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर रोही ग्राम शिवपुरी के राजस्व अक्स में खसरा संख्या 769 की जगह पश्चिमी साईड में खसरा संख्या 954/769 व पूर्वी साईड में खसरा संख्या 953/769 की तरमीम करने तथा खसरा संख्या 953/769 व 954/769 की जगह खसरा संख्या 769 की तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 04-03-2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned by CamScanner